

विधिष्ट संपादकीय सारांश

20
सितंबर
2024

गलत धरणा: एक साथ चुनाव कराने का मसला

द हिन्दू

पेपर-II (भारतीय राजव्यवस्था)

विभिन्न राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के कई लोगों द्वारा एक साथ चुनाव कराने के विचार का विशेष किए जाने के बावजूद, केंद्र सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाने संबंधी पूर्व सम्मति रामनाथ कोविन्द की अध्यक्षता वाली एक उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का फैसला किया है। समिति ने पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने और उसके बाद आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर नगरपालिका और पंचायत चुनाव कराये जाने की परिकल्पना की है। ऐसा करने के लिए, सरकार को संसद और राज्य विधानसभाओं से संवैधानिक संशोधन पारित कराने की जरूरत होगी। इस प्रस्ताव के लिए दो प्रमुख कारण गिनाए गए हैं— पहला, इन चुनावों को एक साथ कराने पर इसकी लागत काफी कम हो जाएगी और दूसरे, एक साथ चुनाव नहीं होने से राजनीतिक दलों को लंबे समय तक चुनाव प्रचार के मोड़ में रहना पड़ता है, जिससे शासन और विधायी कार्य प्रभावित होते हैं। पहले कारण के समर्थन में बहुत कम या कोई अनुभवजन्य आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। पहले ही, आम चुनावों में काफी ज्यादा लंबा समय लगता है और कुछ राज्यों में चुनाव कई चरणों में होते हैं। एक साथ चुनाव होने से यह प्रक्रिया काफी लंबी हो सकती है। समिति की सिफारिशों में से एक यह भी है कि अगर किसी राज्य की विधानसभा अपने पांच साल के कार्यकाल से पहले भंग हो जाती है, तो बनियत तिथि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के एक ही समय में होने की तरीख - के बाद नए व्यव्यावधि चुनाव तो होंगे लेकिन नई विधानसभा का कार्यकाल पूरे पांच साल का नहीं होगा। इसका कार्यकाल बनियत तिथि से पांच वर्ष बाद समाप्त होगा। यह प्रावधान एक साथ चुनावों के जरिए लागत में कटौती के मूल विचार के खिलाफ है। यह एक संघीय स्वरूप का विरोधी विचार भी है।

एक बहु-स्तरीय शासन प्रणाली में, लोग अपनी इस धारणा के आधार पर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं कि कौन सबसे उपयुक्त है। सरकार के विभिन्न स्तरों के लिए सीमांकित की गई शक्ति प्रत्येक प्रतिनिधि के लिए अलग-अलग भूमिका का निधन करती है और मतदाताओं को विभिन्न विकल्प सुझाती है जो पार्टी से जुड़ाव, उम्मीदवार की ताकत, वैचारिक रुझान या निर्वाचन क्षेत्र-विशेष के सामाजिक-आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकते हैं। प्रत्येक स्तर और उससे जुड़े चुनाव का अपना एक खास महत्व है। जनप्रतिनिधि के बारहों महीने प्रचार अभियान के मोड़ में रहने और इसलिए, हर स्तर पर चुनाव एक ही अवधि के दौरान कराने संबंधी दूसरे तर्क में कई समस्याएं हैं। पहला, पार्टियों के राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का हमेशा प्रचार अभियान मोड़ में रहना उन पार्टियों के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का नतीजा है जो आज सत्ता में हैं और यह मौजूदा चुनावी लोकतांत्रिक प्रणाली का प्रतिबिंब नहीं है। दूसरा, बहु-स्तरीय चुनावों को एक साथ कराने से प्रत्येक स्तर, विशेष रूप से विधानसभा और नगरपालिका/पंचायत स्तरों का महत्व कम हो जाने की आशंका है और यह संघीय स्वरूप का विरोधी है। अंत में, इस प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए कई राज्य सरकारों के कार्यकाल में कटौती करनी होगी। संघवाद के प्रति प्रतिबद्ध पार्टियों और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से खारिज करना चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न: एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. इसके लिए गठित समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे।
2. इस समिति ने केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ करने के लिए अनुशंसा की है लेकिन इसमें स्थानीय निकायों के चुनावों को बाहर रखा है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं? Committed to Excellence

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

Que. Consider the following statements in the context of One Nation One Election-

1. The chairman of the committee formed for this was former President Ramnath Kovind.
 2. This committee has recommended to hold central and state elections simultaneously but has excluded local body elections.
- Which of the above statements is/are correct?
- (a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

उत्तर : A

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न: “एक साथ चुनाव कराने का विचार स्वाभाविक रूप से संघीय स्वरूप का विरोधी है।” इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में भारत में एक साथ चुनाव कराने का विचार की चर्चा करें।
- दूसरे भाग में एक साथ चुनाव कराने के पक्ष विपक्ष का विश्लेषण करें।
- अंत में आगे की राह देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।